

20-विविध

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	रेन वाटर हार्वैस्टिंग योजना को लागू किया जाना।	सं०:-1290 / उन्तीस (2) / 08-2(153 पे०) / 2007 दिनांक: 18 जुलाई, 2008	447-448
2	कर्मचारियों/शिक्षकों की हड़ताल/कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में।	सं०-1202 / XXX(2) / 2009 दिनांक: 29 अक्टूबर, 2009	449-450
3	आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिकों की अनुपस्थिति विषयक सूचना कोषागारों को भेजा जाना।	सं०:-259 / XXVII(6) / 2011 दिनांक: 05 जुलाई, 2011	451-452
4	भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता (Current Account) खोलने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं०:-135 / XXVII(7)58 / 2011 दिनांक: 16 सितम्बर, 2011	453-454
5	वित्त विभाग में टी०ए०सी० के तकनीकी परीक्षण के सम्बन्ध में।	सं०:-50 / XXVII(7) / 2012 दिनांक: 12 अप्रैल, 2012	455-456
6	विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाये जाने तथा अनावश्यक समय एवं लागत वृद्धि को दूर करने के उद्देश्य से परियोजना की स्वीकृति दो चरणों में दिया जाना।	सं०:-329 / XXVII(1) / 2012 दिनांक: 26 जून, 2012	457-458
7	तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।	सं०:-388 / XXVII(1) / 2012 दिनांक: 23 जुलाई, 2012	459-462
8	राज्यस्तरीय लोक सेवाओं में "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" सिद्धान्त लागू किया जाना।	सं०:-248 / XXVII(7)27(16) / 2012 दिनांक: 07 सितम्बर, 2012	463-464
9	राज्यस्तरीय लोक सेवाओं में "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" सिद्धान्त लागू किया जाना।	सं०:-906 / XXX(2)2012-55(47) / 2004 दिनांक: 07 सितम्बर, 2012	465-466
10	विभागों में शासकीय धनराशि को जमा करने के लिये पी. एल०ए० खोला जाना।	सं०:-132 / XXVII(14) / 2012 दिनांक: 16 अक्टूबर, 2012	467-468
11	पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं के वेतन निर्धारण, मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	सं०:-319 / XXVII-7 / 2012 दिनांक: 21 नवम्बर, 2012	469-470
12	आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिकों की अनुपस्थिति विषयक सूचना सम्बन्धित कोषागारों को भेजा जाना।	सं०:-21 / XXVII(6) / 2013 दिनांक: 09 जनवरी, 2013	471-472
13	राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन के कय के सम्बन्ध में नीति।	सं०:-65 / IX-i / 2013 / 215 / 2011 दिनांक: 17 जनवरी, 2013	473-478
14	अधिवृत्ता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों को पुनर्नियुक्त अथवा अनुबन्धात्मक रूप से तैनाती प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	सं०:-173 / XXX(2) / 2013-3(1)2012 दिनांक: 20 फरवरी, 2013	479-482

प्रेषक

एस0के0 दास,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिवे,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2008

विषय :- रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में जल स्रोतों के श्राव में दिन-प्रतिदिन कमी आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में विभिन्न स्थानों पर गम्भीर पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है और इस समस्या के निदान हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से कार्यवाही की जाय :-

1. प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लागू किया जाय और इस हेतु विभागीय आय-व्ययक में एक निश्चित धनराशि का प्राविधान किया जाय तथा भवनों के मानचित्र में इसकी व्यवस्था का अनिवार्य परीक्षण टी0ए0सी0 द्वारा किया जाय। भवन के मानचित्र पर तभी तकनीकी सहमति दी जाय जब मानचित्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया गया हो।
2. पूर्व निर्मित सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से की जाय और इस दिशा में सर्वप्रथम बड़े भवनों यथा विद्यालय, चिकित्सालय, पर्यटन आवास गृह, सर्किट हाऊस, निरीक्षण भवन आदि को पायलट व्यवस्था के रूप में क्रियान्वित किया जाय।
3. नगरीय क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की अनिवार्यता सुनिश्चित कराने की दृष्टि से विकास प्राधिकरण, नगर पालिका एवं नगर पंचायत आवश्यकतानुसार अपने भवन उपविधि (Building Bye-laws) में आवश्यक प्राविधान करना सुनिश्चित करेंगे।

1. जिन विकास प्राधिकरणों/नगरीय क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान पूर्व से है वहाँ विकास प्राधिकरणों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके क्षेत्र में बनने वाले सभी सरकारी/गैर सरकारी भवनों में उक्त को लागू किया गया है।
2. ग्रामीण क्षेत्र में भी सरकारी भवनों यथा विद्यालय, पंचायत भवन, आँगनवाड़ी चिकित्सालय इत्यादि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाये और प्रथमतय यह कार्य पेयजल संकटग्रस्त स्थानों में किया जाना सुनिश्चित हो।

भवदीय,

(एस0क0 दास)
मुख्य सचिव
१२

प्रपत्र,

इन्दु कुमार पाण्डे
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सब में

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त बरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 29 अक्टूबर 2009

विषय:- कर्मचारियों/शिक्षकों की हड़ताल/कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि कर्मचारी संगठन अपनी मागों को लेकर हड़ताल/कार्य बहिष्कार करते हैं। कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल/कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

- (1) "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के अनुरूप हड़ताल/कार्य बहिष्कार पर जाने वाले कर्मचारियों का वेतन का भुगतान न किया जाय। प्रत्येक माह हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों का विवरण भी कोषागार को उपलब्ध कराया जाय ताकि तदनुसार वेतन की कटौती की जा सके।
 - (2) समस्त कार्यालयों में उपस्थिति की कड़ाई से जांच की जाय तथा जो कर्मचारी उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्य नहीं करते हैं उन्हें हड़ताल में सम्मिलित माना जाय।
 - (3) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी कर्मचारी को सामान्य रूप में अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
 - (4) जिन सेवाओं में अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के प्रावधान प्रभावी है, वहाँ वहाँ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाय।
 - (5) कार्य पर आने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाय।
- 2-- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-6
संख्या-²⁵⁹/xxvii(6)/2011
देहरादून: दिनांक: 05 जुलाई, 2011


कार्यालय ज्ञाप

प्रायः यह देखा जा रहा है कि कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा शासनादेश संख्या: 235/21/वि0अनु0-1/2001 दिनांक: 06 दिसम्बर, 2001 के अनुपालन में प्रपत्र-2 पर कार्मिकों की अनुपस्थिति विषयक सूचना सम्बन्धित कोषागारों को, उत्तरदायी रूप से नहीं भेजी जा रही हैं। साथ ही नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्षों के स्तर पर इसका प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। इस विषय पर शासनादेश संख्या: 212/वि0अनु0-4/2004 दिनांक: 09 जुलाई, 2004 के प्रस्तर-3 में व्यवस्था दी गई है कि "कार्यालयाध्यक्ष/विभागीय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रति माह वेतन अथवा तत्सम्बन्धी भत्ते में होने वाले परिवर्तन तथा उपस्थिति आदि की सूचना नियमित रूप से कोषागारों को प्रेषित की जाये। यदि सूचना में कोई परिवर्तन न हो तब भी "शून्य" सूचना समय से कोषागार को अवश्य प्रेषित की जाये। यदि दो माह तक आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शून्य सूचना भी नहीं भेजी जाती है तब ऐसे प्रकरण में कोषागार तब तक भुगतान रोक देंगे जब तक सूचना न प्राप्त हो जाए।"

सामान्य सिद्धान्त यह है कि किसी भी कार्मिक को वेतन तभी देय होता है जब उसके द्वारा राजकीय कार्य सम्पादित किया जाता है। दूसरे अर्थों में "नो वर्क नो पे सिद्धान्त" सभी राजकीय कार्मिकों पर लागू होता है। इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन आहरण हेतु कोषागारों को प्रपत्र-2 पर कार्मिकों की अनुपस्थिति/उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्मिक वास्तव में कार्यालय में उपस्थित थे एवं उनके द्वारा शासकीय कार्य सम्पादित किया गया है। भविष्य में समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को प्रपत्र-2 में इस आशय की प्रतिमाह सूचना भेजनी अनिवार्य होगी। गलत सूचना देने के कारण जो अधिक भुगतान होगा उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होंगे। सूचना न भेजने की स्थिति में कोषागार भुगतान रोक देगा। नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्षों के स्तर पर कार्मिकों की उपस्थिति का लगातार पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।


ये आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

भवदीय,


(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

पत्र संख्या:-²⁵⁹/xxvii(6)/2011 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्रीजी, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबेरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
5. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, देहरादून।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागों के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,
हेमलता ढौंडियाल,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,
निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड,
23-लक्ष्मीरोड, डालनवाला,
देहरादून।

वित्त (वे0आ0-सा0नि)अनु0-7


देहरादून: दिनांक: 16 सितम्बर, 2011

विषय:- भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता (Current Account) खोलने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 270/23(3)/आई.पी.ए.ओ./नि.को.वि.से./2011 दिनांक 24-05-2011 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें वर्तमान में एकीकृत वेतन एवं भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत कोषागारों द्वारा सभी कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन के चेक बनाकर पृथक-पृथक बैंकों को भेजे जाने के बाद विभिन्न बैंकों के द्वारा कार्मिकों के खाते में उक्त धनराशि जमा की जाती थी, लेकिन अब विभिन्न बैंकों से वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे सभी कार्मिकों/पेंशनरों की एक मुहूर्त धनराशि का चैक एवं कार्मिकों के विवरण की सीडी भारतीय स्टेट बैंक को दे दी जायेगी और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अपने स्तर से सभी दूसरे संबंधित बैंकों का इसका विवरण आनलाइन (on Line) किये जाने की प्रक्रिया में भारतीय स्टेट बैंक से reconciliation हेतु वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून के नाम से एक चालू खाता (Current Account) निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त प्रयोजन हेतु खोले जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (1) उक्त खाते को केवल reconciliation उक्त प्रयोजन हेतु ही प्रयोग में लाया जायेगा।
- (2) इसका संचालन कोर ट्रेजरी पर वित्त अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
- (3) उक्त खाते में सम्पूर्ण प्रदेश के कोषागारों से लिंक एस.बी.आई. द्वारा ऐसे खातों की धनराशि जमा की जायेगी जिन खातों की सूचना सी0डी0 में अपूर्ण/अधूरी/त्रुटिपूर्ण होगी और संबंधित कोषाधिकारी से सही सूचना प्राप्त होने पर वह धनराशि वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी द्वारा सही खाते में स्थानान्तरित कर दी जाएगी।

भवदीय

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव वित्त।

संख्या: 135/XXVII(7)58/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. भारतीय स्टेट बैंक व अन्य राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन ~~देहरादून~~।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से



(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-7

संख्या:- /xxvii(7)/2012

देहरादून: दिनांक: 12 अप्रैल, 2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय :- वित्त विभाग में टी.ए.सी. के तकनीकी परीक्षण के सम्बन्ध में।

वर्तमान में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग में टी.ए.सी. द्वारा निर्माण/अवस्थापना विषयक कार्य के आगणनों का परीक्षण कराया जाता है, जिसके आधार पर वित्त विभाग के स्तर से लागत पर सहमति व्यक्त की जाती है। टी.ए.सी. द्वारा किये जा रहे कार्य परीक्षण के विस्तार-क्षेत्र (scope) को सुस्पष्ट किये जाने की दृष्टि से इस सम्बन्ध में मुझे निम्नवत् स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि :-

1. टी.ए.सी. परीक्षण मात्र शोड्यूल दरों के आधार पर लागत की गणना का परीक्षण तक सीमित है अतः टी.ए.सी. परीक्षण को किसी भी दशा में तकनीकी स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता, जिस हेतु सम्बन्धित ग्राहक विभाग/कार्यदायी संस्था पूर्णतः उत्तरदायी हैं। आगणन में किये गये प्राविधानों, डिजाईन, ड्राइंग, सुरक्षा उपाय, मात्रा (quantity), मापन (measurements) आदि के सम्बन्ध में प्राथमिक जिम्मेदारी प्रयोक्ता विभाग की है। यह आवश्यक है कि कार्यदायी संस्था से तैयार कराये गये आगणनों को Routine आधार पर स्वीकार न किया जाय बल्कि कार्य की प्रकृति को देखते हुए प्रयोक्ता विभाग इन आगणनों का स्थलीय सत्यापन भी करें ताकि वास्तविक आवश्यकता एवं मानक से अधिक मात्रा/उच्च विशिष्टि पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता विभाग आगणनों, विशेष रूप से जटिल तथा मिट्टी भराव, भूमि विकास आदि कार्यों के आगणनों का स्वतंत्र/थर्डपार्टी परीक्षण कराने पर नियोजन विभाग से सहायता ले सकते हैं। टी.ए.सी. परीक्षण में यथास्थिति उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग/पेयजल निगम/पावर कारपोरेशन/दिल्ली शोड्यूल रेट को आधार माना जाता है, जबकि जिन मदों की दरें शोड्यूल दर में सम्मिलित नहीं हैं उनके सम्बन्ध में प्रयोक्ता (user) विभाग/सम्बन्धित सक्षम तकनीकी अधिकारी का ही दायित्व है।
2. अधिकांशतः यह देखा गया है कि टी.ए.सी. को परीक्षण हेतु प्रस्तुत आगणनों में ऐसे निर्माण कार्य सामग्री आपूर्ति की मात्रा दर एवं लागत के अनुमान भी सम्मिलित रहते हैं जिनका टी.ए.सी. द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि इन कार्यों हेतु शोड्यूल दरें निर्धारित नहीं रहती हैं एवं तदनुसार टी.ए.सी. परीक्षण में इस प्रकार की टिप्पणी भी अंकित कर दी जाती है। अतः ऐसे प्रकरणों में टी.ए.सी. परीक्षण को निर्धारित दरों के अनुरूप सिविल कार्यों की लागत के परीक्षण तक ही सीमित समझा जाना चाहिए जबकि शेष कार्यों हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं आवश्यक विशिष्टि/गुणवत्ता के आधार पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत अधिप्राप्ति की कार्यवाही हेतु ग्राहक विभाग/कार्यदायी संस्था ही पूर्णतः उत्तरदायी है। कार्यदायी संस्था से अधिप्राप्ति की दशा में सामग्री आपूर्ति के मामलों में वित्त विभाग के शासनादेश

संख्या: 163/xxvii(7)/2007 दिनांक: 22.05.2008 द्वारा अनुमन्य प्रतिशत प्रभार ही देय होगा न कि निर्माण कार्य हेतु देय प्रभार।

3. यहां यह भी संज्ञान में लाना है कि नियोजन विभाग के तत्वावधान में विभिन्न परियोजनाओं की तकनीकी जांच/परीक्षण का कार्य कराया जा रहा है। टी0ए0सी0 परीक्षण के अतिरिक्त नियोजन विभाग द्वारा किये गये परीक्षणों पर प्राप्त जांच रिपोर्टों के अवलोकन ये भी कतिपय विभागों में कार्यरत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बढ़ी हुई मात्रा के आगणन बनाए जाने के उदाहरण देखने में आये हैं। साथ ही अनुमन्य कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों से भिन्न एवं न्यूनतम संभव आवश्यकता/व्ययभार के स्थान पर उच्च विशिष्टियों व अधिक कुर्सी क्षेत्रफल के आगणन बनाये गये हैं अथवा क्रियान्वयन/निर्माण कार्य के दौरान क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों आदि को बदल दिये जाने के मामले भी संज्ञान में आये हैं। कतिपय प्रकरणों में यह देखा गया है कि विधायी स्वीकृति से भिन्न स्थल पर अथवा स्वीकृत आगणन से भिन्न आधार पर निर्माण कार्य कर लिया जाता है जबकि ऐसी परिस्थिति में नये सिरे से विधायी स्वीकृति/आगणन पुनरीक्षण उपरान्त ही कार्य कराया जाना चाहिए।

सम्बन्धित प्रयोक्ता विभागों/कार्यदायी संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि विभिन्न कार्यों के आगणनों का भली भाँति परीक्षण सुनिश्चित किया जाय जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

(आलोक कुमार जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 50/xxvii(7)/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, नियोजन, राज्य योजना आयोग प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. अधिशासी अभियन्ता, टी0ए0सी0 (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य एकक, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राधा रतुड़ी)
सचिव, वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-1
संख्या- 329/XXVII(1)/2012
देहरादून: दिनांक: 26 जून, 2012

कार्यालय ज्ञाप


वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 द्वारा विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाये जाने तथा अनावश्यक समय एवं लागत वृद्धि को दूर करने के उद्देश्य से परियोजना की स्वीकृति दो चरणों में दिये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके प्रथम चरण में परियोजना/योजना पर वित्त विभाग में सैद्धान्तिक प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रक्रियात्मक कार्यों जैसे विस्तृत आगणन का बनाया जाना, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सल्टेन्सी आदि तथा दूसरे चरण में परियोजना रिपोर्ट एवं विस्तृत आगणन के आधार पर वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे। इस कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2 में निम्न व्यवस्था है :-

“सामान्यतः उपरोक्त प्रस्तर-1 में दी गई प्रक्रिया नवीन (ग्रीन फील्ड) परियोजनाओं पर लागू होगी। कतिपय ऐसी नवीन परियोजनायें भी हो सकती हैं, जिनमें कोई जटिलता निहित नहीं है (जैसे भूमि उपलब्ध है तथा वन भूमि हस्तान्तरण (NPV) का बिन्दु नहीं है) तथा जिनमें कोई प्रारम्भिक प्रक्रियात्मक कार्य आवश्यक नहीं है। इस प्रकार की परियोजनाओं पर सीधे परियोजना रिपोर्ट (DPR) एवं विस्तृत आगणन के आधार पर स्वीकृति दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग स्वविवेक से यह निर्णय लेंगे कि परियोजना में प्रक्रियात्मक कार्यों हेतु आकलन किये जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं।”

कतिपय विभागों द्वारा विभिन्न अवसरों पर यह समस्या इंगित की जा रही है कि दो चरणों में स्वीकृति कराने की व्यवस्था से उन निर्माण कार्यों में विलम्ब हो रहा है जहाँ भूमि उपलब्ध है और निर्माण कार्य में कोई जटिलता निहित नहीं है एवं सुझाव दिया जा रहा है कि सीधे विस्तृत आगणन/डीपीआर आधार पर ऐसे कार्यों की स्वीकृति दी जाय।

अतः वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.10.2010 के प्रस्तर-2 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये पुनः मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.10.2010 के प्रस्तर-2 के दृष्टिगत प्रशासकीय विभाग स्वविवेक से यह निर्णय लें कि परियोजना में प्रक्रियात्मक कार्यों हेतु आंकलन किये जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं और तदनुसार सीधे डी0पी0आर0/विस्तृत आगणन आधार पर स्वीकृति जारी करने पर विचार कर सकते हैं।


भवदीया,


(राधा रतूडी)
सचिव, वित्त

संख्या 329 (1)/XXVII(1)/2012 एवं तददिनांक

- प्रतिलिपि-1. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, नियोजन, राज्य योजना आयोग, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन विभाग।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,


(डा0 एम0 सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1

:: देहरादून :: दिनांक: 23 जुलाई, 2012

विषय:- तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित घनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के प्ररिपेक्ष्य में शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष वर्ष 2015-16 तक की अवधि के लिए राज्य के निज कर राजस्व का 10.5 प्रतिशत भाग अंतरण के रूप में नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को देय होगा, जिसे शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के बीच 50:50 के अनुपात में बराबर-बराबर वितरित किया जायेगा।

शहरी स्थानीय निकायों को देय 50 प्रतिशत अंश में से नगर निगमों को 12.5 प्रतिशत, समस्त नगर पालिका परिषदों को 30 प्रतिशत एवं समस्त नगर पंचायतों को 7.5 प्रतिशत अंश देय होगा।

2- आयोग द्वारा नगर निगमों के बीच अंतरण की संस्तुति निम्न मानदण्डों के आधार पर की गई है:-

1.	जनसंख्या	75 प्रतिशत
2.	क्षेत्रफल	10 प्रतिशत
3.	कराधान प्रयास	10 प्रतिशत
4.	विशेष परिस्थितियों	5 प्रतिशत

3- आयोग द्वारा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अंतरण राशि का वितरण निम्न आधार पर किया गया है:-

	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
1. जनसंख्या	60 प्रतिशत	65 प्रतिशत
2. क्षेत्रफल	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
3. स्वयं का प्रति व्यक्ति राजस्व	15 प्रतिशत	15 प्रतिशत
4. विशेष परिस्थितियों	15 प्रतिशत	10 प्रतिशत

शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को देय अंश अनुलग्नक- I व II में इंगित किये गये हैं।

तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनाये गये सिद्धान्त तथा मापदण्डों के आधार पर दो नगर पंचायतों, नगर पंचायत-द्वाराहाट, तथा बड़कोट को मिलने वाली अंतरण राशि में कमी हो रही है, जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन निकायों को मिलने वाले

अंतरण की राशि में कमी न की जाय। उन्हें वर्ष 2010-11 के आधार पर ही अंतरण दिया जाय परन्तु प्रोत्साहन तथा हतोसाहन का प्रतिबंध इन निकायों पर भी लागू रहेगा।

4— आयोग ने तीन अनिर्वाचित नगर पंचायतों कमशः—बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं गंगोत्री को सामान्य अन्तरण के स्थान पर निम्नानुसार सहायक अनुदान की संस्तुति की गई हैः—

1. बद्रीनाथ	50 लाख प्रतिवर्ष
2. केदारनाथ	25 लाख प्रतिवर्ष
3. गंगोत्री	25 लाख प्रतिवर्ष

5—दुर्गा शाह म्युनिसिपल लाईब्रेरी का सुदृढीकरणः— आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 50 लाख के अनुदान की संस्तुति की है, जिसे शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसके अन्तर्गत निःशुल्क साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुये पुस्तकालय की सम्पत्ति को कम्प्यूटरीकृत किया जाना, भवन मरम्मत, फर्नीचर, कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरणों के कय हेतु किया जायेगा। नगर पालिका परिषद, नैनीताल इसकी विस्तृत कार्ययोजना बनाकर नगर विकास विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्तुत करेगी। उसके बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

6—उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी को अनुदानः— शहरी विकास का राज्य संस्थान स्थापित करने और प्रारम्भ करने में उसे उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी में खोलने की सिफारिश की है। शहरी मृद्धो से सम्बन्धित क्षमता निर्माण/ अनुसंधान के लिये उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल को ₹ 25 लाख का वार्षिक अनुदान देय होगा। अकादमी इसके लिए अपनी कार्ययोजना शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करेगी तथा कार्ययोजना के अनुमोदन के बाद धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

7— तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में वर्ष 2011-12 के लिए कोई भी अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी एवं वर्ष 2012-13 से आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था/ सूत्र के आधार पर धनराशि अंतरित की जाएगी।

8— आयोग द्वारा निकायों को अंतरित की जाने वाले धनराशि के निर्धारण हेतु फार्मूला निर्धारित किया गया है, जिसमें निकायों की जनसंख्या भी एक कारक है। जनगणना-2011 के अन्तिम आंकड़े प्राप्त न होने के कारण आयोग ने इस हेतु जनगणना-2001 के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अन्तिम आंकड़े प्राप्त हो जाने के बाद निकायों को देय अंश का पुनः निर्धारण किया जायेगा।

9— तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई वित्तीय संस्तुतियों के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य हैः—

- (1) ऐसे शहरी स्थानीय निकाय जो संपत्ति कर नहीं लगाते हैं, उन्हें राज्य के कर राजस्व में वृद्धि होने पर किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी का अधिकार नहीं होगा।
- (2) अन्य शहरी स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में अतिरिक्त राशि, जो राज्य के कर राजस्व में सामान्य वृद्धि होने पर देय होगी, में से आधी राशि फार्मूले के आधार पर वितरित की जायेगी जबकि बकाया आधी राशि प्रोत्साहन अनुदान तथा विशेष प्रयोजन अनुदान के रूप में वितरित की जाएगी।
- (3) ऐसे शहरी स्थानीय निकाय जो पुनः निर्धारण का समय हो जाने पर भी संपत्ति कर का पुनः निर्धारण नहीं करते उन्हें प्रोत्साहन तथा विशेष प्रयोजन अनुदान के लिए निर्धारित अतिरिक्त अंतरण राशि के 50 प्रतिशत में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
- (4) ऐसे शहरी स्थानीय निकाय जो स्वयं के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे किसी वर्ष में स्वयं के राजस्व में प्रत्येक 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अनुवर्ती वर्ष में अन्तरण राशि में उनके हिस्से में 5 प्रतिशत, अधिकतम 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी।

- (5) ऐसे शहरी स्थानीय निकाय जो अर्वाड अविध 2010-15 में 13वें वित्त आयोग के अनुदान का पूरा उपयोग सुनिश्चित करेंगे, उन्हें वर्ष 2015-16 में निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुदान दिया जा सकेगा।

नगर निगमों के लिए :	₹	50	लाख
नगर पालिका परिषदों के लिए आबादी के अनुसार:-			
1 लाख से अधिक :	₹	40	लाख
50000 से 1 लाख के बीच :	₹	30	लाख
20000 से 50000 के बीच:	₹	20	लाख
20000 से कम	₹	10	लाख
नगर पंचायतों के लिए :	₹	5	लाख

10- आयोग की संस्तुतियों के कम में निकायों को अंतरित की जाने वाले धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि पर खर्च किया जायेगा। वेतन, भत्ते आदि के भुगतान के बाद अवशेष धनराशि विकास कार्यों में खर्च की जायेगी।

11- तृतीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकारक ज्ञापन सभी निकायों को पूर्व प्रेषित किया जा चुका है। आयोग द्वारा प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के संबंध में सभी निकायों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जानी है।

12- निकायों के सेवा निवृत्त केन्द्रीय एवं अकेन्द्रीय कर्मचारियों के जून, 2012 तक पेंशन, उपादान एवं भविष्य निधि आदि के लम्बित देयकों के भुगतान हेतु अलग से व्यवस्था की जा रही है जो केवल लम्बित देयकों के भुगतान के लिए ही है। सेवा निवृत्त कर्मिकों को पेंशन उपादान एवं भविष्य निधि आदि के लम्बित देयकों के भुगतान के बाद अवशेष राशि का कुछ अंश निदेशालय स्तर पर एक निधि का गठन कर उसमें अतिरिक्त स्रोत के रूप में जमा किया जायेगा। इस निधि से यथा आवश्यकता केन्द्रीय एवं अकेन्द्रीय कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक कामों के भुगतान हेतु आर्थिक वित्त पोषण किया जा सकेगा।

13- सामान्य निर्देश:-

1. निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि को कोषागार से आहरित कर नगर निगम/नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों खाते में सीधे अंतरित की जायेगी। अंतरित की जाने वाली धनराशि का उपयोग केवल उस कार्य के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि संकमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
2. निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण हित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा। इस धनराशि का

उपयोगिता प्रमाण-पत्र अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करा कर वित्त आयोग निदेशालय, कक्ष संख्या-19, पूर्वी ब्लॉक, सचिवालय, देहरादून को किये गये कार्य के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा और तभी अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीया



(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या: 388 / XXVIII(1)/2012, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
- (2) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- (3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- (4) निदेशक, शहरी विकास विभाग, 43-माता मन्दिर रोड़, धर्मपुर-देहरादून।
- (5) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, (लेखा एवं हकदारी) 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- (6) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
- (7) निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
- (8) समस्त मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- (9) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम-देहरादून / हरिद्वार / हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
- (10) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड।
- (11) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
- (12) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- (13) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (14) एन.आई.सी. सचिवालय, परिसर, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,


(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

पेषक,

राधा स्तूडी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त पीडी गढ़वाल/कुमायूँ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0)अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 07 सितम्बर, 2012

विषय :- राज्याधीन लोक सेवाओं में "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" सिद्धान्त लागू किया जाना।

महोदय,

कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 906/XXXV(2)/2012-55 (47)/2004 टीसी, दिनांक 7 सितम्बर, 2012 द्वारा दिनांक 10 सितम्बर, 2012 से अपने कार्य पर उपस्थित न होने वाले कार्मिकों को "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" सिद्धान्त के आधार पर कार्य पर अनुपस्थित मानकर वेतन न दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 259/XXVII (6)/2011, दिनांक 5 जुलाई, 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वेतन आहरण हेतु कोषागारों/उपकोषागारों को प्रपत्र-2 पर कार्मिकों की अनुपस्थिति/उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्मिक वास्तव में कार्यलय में उपस्थित थे एवं उनके द्वारा शासकीय कार्य सम्पादित किया गया। समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को प्रपत्र-2 में इस आशय की सूचना प्रतिमाह भेजनी अनिवार्य होगी। मन्त सूचना देने के कारण जो अधिक भुगतान होगा उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। सूचना न प्राप्त होने की स्थिति में कोषागार/उपकोषागार द्वारा भुगतान रोक दिया जायेगा। नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्षों के स्तर पर कार्मिकों की उपस्थिति का लगातार पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

इस क्रम में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 1202/XXXV (2) / 2009 दिनांक 29 अक्टूबर, 2009, का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों, निगमों, निकायों आदि में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया

(राधा स्तूडी)
सचिव, वित्त।

संख्या 248 / XXVII (7) 2706 / 2012, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड एकक सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से



(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त।

प्रेषक,

डी.के. कोटिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 07 सितम्बर, 2012

विषय : राज्याधीन लोक सेवाओं में कार्य नहीं तो वेतन नहीं सिद्धान्त लागू किया जाना।

महोदय,

प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध एवं समर्थन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा दिनांक 03 सितम्बर, 2012 से प्रारम्भ की गयी कार्य बहिष्कार/हड़ताल के क्रम में शासन द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता के उपरान्त कतिपय शासनादेश निर्गत करते हुए सभी विभागों को विभागीय संगठनात्मक ढाँचों में रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आहूत करने तथा आवश्यकतानुसार निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं।

2. शासन द्वारा निर्गत किए गए उक्त शासनादेशों के आलोक में प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध अथवा समर्थन में आन्दोलनरत मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी हड़ताल दिनांक 06 सितम्बर, 2012 को स्थगित करने का निर्णय लेकर तत्सम्बन्धी सूचना शासन को भी दी गयी है। तदक्रम में अधिकांश कार्यालयों में कार्मिक दिनांक 07 सितम्बर, 2012 को कार्य पर वापस आ चुके हैं, किन्तु शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभी भी कुछ कार्मिक कार्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं अथवा ऐसे अनुपस्थित कार्मिक कार्य पर उपस्थित हो चुके अन्य कार्मिकों के द्वारा कार्य सम्पादन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

3. उपर्युक्त परिस्थितियों में, शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को जो कार्मिक अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें कार्य नहीं तो वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर कार्य पर अनुपस्थित मानकर उन्हें वेतन नहीं दिया जायेगा तथा सेवा में व्यवधान मानते हुए कर्मचारी आचरण नियमावली/कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के संगत प्राविधानों के अनुसार उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने पर भी विचार किया जायेगा।

भवदीय,

(डी.के. कोटिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या 906 (1) / XXX(2) / 2012--55(47) / 2004 टी.सी. तददिनांक

- प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम श्री राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
 2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 3. प्रमुख सचिव, विधान सभा को मा. अध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
 4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
 6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल।
 7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 8. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
 9. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
 10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
अपर सचिव।

प्रेषक,
राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक: 1 अक्टूबर, 2012

वित्त आडिट प्रकोष्ठ

विषय: विभागों में शासकीय धनराशि को जमा करने के लिये पी0एल0ए0 खोला जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्या- 99/xxvii (14)/2009 दिनांक: 3 सितम्बर, 2009, पत्र संख्या-158/xxvii (14)/2009 दिनांक: 27 नवम्बर, 2009, पत्र संख्या-225/xxvii(14)/2010 दिनांक: 2 मार्च, 2010 तथा पत्र संख्या- 55/xxvii(14)/2010 दिनांक: 11 जून, 2010 की ओर ध्यान आकर्षित करना है जिसमें यह कहा गया था कि सभी जिला अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से पी0एल0ए0 खोले जाने हैं।

राज्य की अर्थोपाय स्थिति में संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि समेकित निधि से आहरण तब किया जाये जब धनराशि के व्यय की तत्काल आवश्यकता हो, के सिद्धान्त पर सभी जिला अधिकारी सुसंगत लेखाशीर्षक के अधीन कोषागार में वैयक्तिक खाता (पी0एल0ए0) यदि पूर्व में न खुला हो तो एक सप्ताह में खुलवाना सुनिश्चित करें तथा समेकित निधि से आहरित वे सभी धनराशियां, जो बैंक में रखी गयी हों अथवा सावधि (फिक्स डिपोजिट) जमा में रखी गयी है, को तत्काल कोषागार के विभागीय पी0एल0ए0 में जमा कर दिया जाये। पी0एल0ए0 से तत्काल आवश्यकता की धनराशि ही आहरित की जाये एवं बैंक में ऐसी धनराशियां सामान्य जमा या सावधि जमा में न की जाये।

जिन जिला अधिकारियों द्वारा पी0एल0ए0 खोल दिये गये हैं उसकी सूचना तत्काल वित्त आडिट प्रकोष्ठ को फैक्स नं0- 0135-2712093 के माध्यम से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।

अनुरोध है कि जिलों में पी0एल0ए0 खाते तुरन्त खोला जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,
(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

पत्र संख्या-132/xxvii (14)/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर सचिव, वित्त व्यय नियंत्रण, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित कि विभागों द्वारा पी0एल0ए0 खोले जाने की दशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। अनुरोध है कि विभागों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुये पी0एल0ए0 खाते तुरन्त खोला जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।

dc

आज्ञा से,
(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक: 21 नवम्बर, 2012

विषय: पुर्ननियोजित सरकारी सेवाओं के वेतन निर्धारण, मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

सेवानिवृत्ति के उपरान्त विभाग, कभी कभी जनहित में एवं अपरिहार्यता होने पर, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की पुर्ननियुक्ति कार्मिक विभाग/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर, करते हैं। सेवानिवृत्ति के उपरान्त सिविल सरकारी सेवकों के पुर्ननियोजन एवं उक्त अवधि में वेतन निर्धारण का प्राविधान सिविल सर्विस रेग्युलेशनस के अनुच्छेद 520 में निहित है।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुर्ननियोजन की अवधि में सरकारी सेवक को वह वेतन अनुमन्य होता है जो उसके समस्त नैवृत्तिक लाभों को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुर्ननियोजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक न हो। समस्त नैवृत्तिक लाभों से तात्पर्य शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण) से है। दूसरे अर्थों में पुर्ननियोजन अवधि में वेतन अन्तिम आहरित वेतन में शुद्ध पेंशन घटाकर प्राप्त धनराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. पुर्ननियोजित सरकारी सेवक की स्थिति एक अस्थायी सरकारी सेवक की होती है। अतएव सामान्यतया उसे वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते आदि उसी प्रकार उपलब्ध होंगे जो उसके समकक्ष अन्य अस्थायी सेवकों के अनुमन्य होते हैं। अतः पुर्ननियोजन की अवधि में, सरकारी सेवक को अधिकतम धनराशि, सेवानिवृत्ति के दिनांक को आहरित अन्तिम वेतन पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जोड़कर कुल आगणित धनराशि में से सकल पेंशन की धनराशि (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर, प्राप्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। पेंशन पर राहत देय नहीं होगी। यदि अतिविशिष्ट विशेषज्ञों की पुर्ननियुक्ति के सम्बन्धित प्रकरण में अधिक धनराशि दी जानी आवश्यक है तो माननीय मंत्रिमण्डल की स्वीकृति आवश्यक होगी।
3. जिस पुर्ननियोजित सरकारी सेवक को ऐसी अन्य सुविधा उपलब्ध हो जिसके लिये कोई कटौती उसके वेतन के आधार पर की जानी हो, यथा मकान-किराया, तो कटौती समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार की जायेगी।
4. पुर्ननियोजन की अवधि पेंशन के लिये नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
5. पुर्ननियोजित सरकारी सेवक को अस्थायी कर्मचारी की भांति वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 2 भाग 2-4 के सहायक नियम 157 एवं तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
6. पुर्ननियोजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते सेवानिवृत्ति के समय की अनुमन्यता के अनुसार देय होंगे।
7. पुर्ननियोजित सरकारी सेवक की पुर्ननियुक्ति पुर्ननियोजन की अवधि समाप्त होने के पहले किसी समय बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है व जिस पद पर उन्हें पुर्ननियोजित

किया गया है वह भी निर्धारित अवधि के पूर्व कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इस शर्त के अधीन रहते हुए उन पर अन्य सेवा शर्तें वही लागू होंगी जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

8. इसी प्रकार कतिपय विभागों में आवश्यकता होने पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को संविदा के आधार पर कन्सलटेन्ट/परामर्शदाता के रूप में नियोजित किया जाता रहा है। उक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्राविधान के अनुसार उनको देय कुल नियत पारिश्रमिक किसी भी देश में उनके द्वारा अंतिम आहरित वेतन में शुद्ध पेंशन घटाकर प्राप्त धनराशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

यदि किसी प्रकरण में अतिविशिष्ट विशेषज्ञों के नियोजन हेतु अधिक नियत पारिश्रमिक दिया जाना आवश्यक है तो सिविल सर्विस रेगुलेशन के तत्सम्बन्धी प्राविधान के शिथिलीकरण का प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ मंत्रिमण्डल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। यहाँ यह स्पष्ट करना है कि यदि किन्हीं प्रकरणों में पूर्व में नियोजित कन्सलटेन्ट/परामर्शदाता को उनके द्वारा अंतिम आहरित वेतन में शुद्ध पेंशन घटाकर प्राप्त धनराशि से अधिक धनराशि दी जा रही है तो इस प्रकार के प्रकरण पर भी वित्त विभाग के परामर्श के उपरान्त मंत्रिमण्डल का अनुमोदन अनिवार्य होगा। कन्सलटेन्ट/परामर्शदाता के रूप में अनुबन्ध पर नियोजित सेवकों के प्रकरणों में उपरोक्त बिन्दु सं0 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 लागू नहीं होंगे। इस प्रकार नियोजित सेवकों के सम्बन्ध में शर्तें कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-128/30XXX(2)/2004 दिनांक: 08 जुलाई, 2004 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार होंगी।

इस विषय में पूर्व में जारी आदेश व नियमावलियाँ उक्त सीमा तक संशोधित/अतिक्रमित समझी जायेंगी। कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या- 319 /xxvii-7/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून।
6. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टैट इन्टरनल अडिटर, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य एकक, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त विभागीय वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी।

आज्ञा से,
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-6

देहरादून दिनांक 05 जनवरी 2013

विषय : आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिकों की अनुपस्थिति विषयक सूचना सम्बन्धित कोषागारों को भेजा जाना।


महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या - 235/21/वि0अनु0-1/2001 दिनांक 6 दिसम्बर 2001 तथा शासनादेश सं0 259/xxvii(6)/2011 दिनांक 5 जुलाई, 2011 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उक्त शासनादेश में वर्णित कार्मिकों की अनुपस्थिति विषयक सूचना सम्बन्धित कोषागारों को नियमित रूप से नहीं भेजी जा रही है तथा कार्यालयाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्षों द्वारा स्थिति का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।

सामान्य सिद्धान्त यह है कि किसी भी कार्मिक को वेतन तभी देय होता है जब उसके द्वारा राजकीय कार्य सम्पादित किया जाता है। दूसरे अर्थों में "नो वर्क नो पे" सिद्धान्त सभी राजकीय कार्मिकों पर लागू होता है।

इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिकों के वेतन आहरण हेतु कोषागारों को प्रपत्र-2 पर सूचना नियमित रूप से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये। सूचना भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कार्मिक वास्तव में कार्यालय में उपस्थित थे एवं उनके द्वारा शासकीय कार्य सम्पादित किया गया है। सूचना न भेजने की स्थिति में कोषागार भुगतान रोक देगा। यदि कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी अनुपस्थित कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं तथा अनुपस्थित कर्मचारी को वेतन भुगतान हो जाता है तो इसका दायित्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का होगा एवं इसकी वसूली उनसे की जाएगी।

भवदीय,



(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव।

पत्र संख्या : 21 /xxvii(6)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
4. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें एवं सह-स्टेट इन्टरनल ऑडिटर, देहरादून।
6. समस्त विभागों के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,


(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रेषक,

डा० उमाकान्त पंवार

सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

3-मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।

4-पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 7 जनवरी, 2013

विषय:-राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन के कय के सम्बन्ध में नीति।

महोदय

राज्य सरकार के अधीन स्थापित विभागों में विभिन्न स्तर के अधिकारियों को वाहन अनुमन्य किये गये हैं। इस अनुमन्यता के आधार पर विभागों द्वारा बजट के अनुरूप वाहन कय किये जाते हैं। कुछ विभागों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाजार से वाहन किराये पर लिये जाते हैं। वर्तमान में राज्य में वाहनों के कय एवं रख-रखाव से सम्बन्धित व्यवस्था में एकरूपता न होने के कारण शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासकीय वाहन के कय के सम्बन्ध में निम्नवत नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. विभिन्न श्रेणी के महानुभावों एवं अधिकारियों को शासकीय वाहनों के मॉडल/मूल्य की अनुमन्यता।

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी*	अधिकतम वाहन कय मूल्य
A	मा० कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस व समकक्ष अधिकारी	15 लाख तक
B	प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त, आई.जी. पुलिस एवं अन्य समकक्ष	12 लाख तक
C	अपर सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष	8 लाख तक
D	अन्य अधिकृत अधिकारी/निदेशालयों के अधिकारी/निगमों के अधिकारी आदि/समकक्ष	6 लाख तक

वाहनों के मॉडल -

आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा शासकीय कय के माध्यम से अधिप्राप्त किये जाने वाले उपरोक्त श्रेणीवार निर्धारित मूल्य सीमा के भीतर आने वाले वह डीजल अथवा पेट्रोल चलित वाहन खरीदे/प्राप्त किये जा सकेंगे जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की डी0जी0एस0 एण्ड डी0 सूची में सम्मिलित होंगे।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की डी0जी0एस0 एण्ड डी0 सूची से बाहर के मॉडलों की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

2. शासकीय प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों को आउटसोर्सिंग प्रणाली/क्रय से अधिप्राप्त करने सम्बन्धी नीति:-

शासकीय प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों को आउटसोर्सिंग प्रणाली/क्रय आदि अधिप्राप्ति करने वाली प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन से अधिप्राप्ति के लिये निम्नलिखित विकल्प होंगे:-

1. निजी वाहन के प्रयोग का विकल्प।
2. आउटसोर्सिंग से, वाहनों को प्राप्त करने का विकल्प।
3. शासन द्वारा वाहनों का स्वयं कय एवं संचालन करना सबसे महंगा विकल्प है।

विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिप्राप्ति के निम्नलिखित विकल्प होंगे-

क्र. स.	श्रेणी		वाहन कय मूल्य-रैंज (मार्च, 2012 के मूल्य)	प्रणाली
1	A	Ministers, CS, DGP, Equivalent	15 लाख तक	शासन द्वारा अधिप्राप्ति अथवा आउटसोर्सिंग द्वारा
2	B	Pri. Secy., Secy, Comm. Equivalent	12 लाख तक	प्रथम विकल्प:-रिइम्बर्समेन्ट द्वितीय विकल्प:-आउटसोर्सिंग
3	C	Add. Secy., DM, SSP, Equivalent	08 लाख तक	प्रथम विकल्प:-रिइम्बर्समेन्ट द्वितीय विकल्प:-आउटसोर्सिंग
4	D	Others Below Category C above	06 लाख तक	प्रथम विकल्प:-रिइम्बर्समेन्ट द्वितीय विकल्प:-आउटसोर्सिंग
5	O	Negative List (Comm. DM, etc.)	As per B,C,D above	शासन द्वारा अधिप्राप्ति

Category "O" (Negative list) :

श्रेणी "O" (नेगेटिव लिस्ट) में वह पद हैं जो सवैधानिक हैं अथवा प्रशासन की गोपनीयता/ संवेदनशीलता/सुरक्षा के दृष्टिगत से ऐसे पद हैं, जिनके लिए वाहनों की अधिप्राप्ति/संचालन/रख-रखाव आउटसोर्सिंग के माध्यम से करना उचित नहीं होगा। इन पदों हेतु अधिप्राप्ति का दायित्व शासन के सम्बन्धित विभागों का ही होगा। इस श्रेणी में निम्नलिखित पद होंगे -

1. श्रेणी- 'A' के सभी पद, परन्तु श्रेणी- 'A' के लिए आउटसोर्सिंग का विकल्प भी खुला रहेगा।
2. मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, महानिदेशक पुलिस एवं जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य जिन्हें समय-समय पर शासन द्वारा इंगित किया जाय।
3. शासकीय अधिकारियों को स्वचालित निजी वाहन व्यवस्था अनुमन्य करने तथा इस हेतु भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में नीति:-
 1. श्रेणी बी० सी० व डी० के अधिकारियों को सर्वप्रथम अपने निजी वाहन को शासकीय कार्य हेतु प्रयोग करने का विकल्प रहेगा। प्रथम चरण में यह विकल्प केवल सचिवालय तथा देहरादून मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को ही अनुमन्य होगा।
 2. इस विकल्प को चुनने वाले अधिकारियों को निजी वाहन प्रयोग पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
 3. निजी वाहन के प्रयोग किए जाने पर दावे के भुगतान हेतु अनुमन्य अधिकतम सीमा निर्धारण करने के अन्तर्गत निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया जायेगा:-

1. Depreciation on capital cost say 6% of the capital cost. यदि वाहन की कीमत औसतन सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए रु० दस लाख रखी जाए तो ₹ 60,000/- Depreciation प्रतिवर्ष होगा अर्थात् औसतन ₹ 5000/- प्रतिमाह।
2. प्रतिमाह 120 लीटर पेट्रोल के औसत के आधार पर ₹ 70 प्रति लीटर के अनुसार ₹ 8,400/- प्रतिमाह ईंधन व्यय।
3. वाहन चालक का मानदेय ₹ 7000/- प्रतिमाह।
4. प्रतिवर्ष वाहन का बीमा अर्थात् लगभग 2.5 प्रतिशत वाहन की कीमत का अर्थात् ₹ 25000/- प्रतिवर्ष जो हर वर्ष घटता रहेगा को दृष्टिगत रखते हुए ₹ 1500/- प्रतिमाह बीमा मद में व्यय।
5. वाहन का रख-रखाव प्रतिमाह ₹ 1000/-
6. इस प्रकार उपरोक्त बिन्दु 1 से लेकर 5 तक कुल ₹ 23,000/- प्रतिमाह होगा।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए C एवं D श्रेणी के अधिकारियों के लिए उनके वाहन की कम लागत एवं शहर में 10 से 12 कि०मी० प्रतिलीटर के औसत को देखते हुए क्रमशः 100 लीटर एवं 80 लीटर प्रतिमाह तथा वाहन चालक के रूप में ₹ 7000/- प्रतिमाह एवं रख-रखाव को देखते हुए श्रेणी C के लिए ₹ 20,000/- तथा D श्रेणी के लिए ₹ 17,000/- की अनुमन्यता होगी।

	बी श्रेणी	सी श्रेणी	डी श्रेणी
	वाहन की औसत कीमत ₹ 10 लाख	वाहन की औसत कीमत ₹ 7 लाख	वाहन की औसत कीमत ₹ 5 लाख
Depreciation @ 6% की दर से प्रतिमाह	5,000	3,500	2,500

पेट्रोल	8,400 (120 लीटर)	7,000 (100 लीटर)	5,600 (80 लीटर)
वाहन चालक मानदेय	7,000	7,000	7,000
बीमा	1500	1250	1000
रख-रखाव	1000	750	500
कुल योग	22,900- 23,000	19,500-20,000	16,600-17,000

2- निजी वाहन प्रयोगकर्ता द्वारा reimbursement claim की अनुमन्य सीमा तक प्रतिमाह अपना दावा आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाए जाने पर आयकर अधिनियम की धारा 10(14) नियम 2BB के अन्तर्गत आयकर से छूट प्रदान है। वाहन के उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा निवास से कार्यालय आने जाने हेतु वाहन के उपयोग पर ₹ 500/- की कटौती करते हुए भुगतान दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि कोई अधिकारी किसी माह में 15 या उससे अधिक दिन कार्यरत रहता है तो अनुमन्यता की धनराशि की सीमा के अन्तर्गत अन्यथा 15 दिन से कम रहने पर आधी धनराशि दिए जाने पर विचार किया जा सकता है क्योंकि 15 दिन से कम रहने पर भी वाहन चालक एवं Depreciation आदि का व्यय तो होता ही रहेगा। प्रत्येक वर्ष के पश्चात् ईंधन के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी होने पर निजी वाहन प्रयोग दरों को पुनरीक्षित करने पर विचार किया जाएगा।

तत्काल प्रभाव से नई गाड़ियों (A श्रेणी को छोड़ते हुए) के क्रय एवं वाहन चालक की भर्ती पर रोक लगायी जाती है। ग्रेड पे 7600/- से निम्न अधिकारियों को चिन्हित कर वाहन की आवश्यकतानुसार एवं पूर्ण औचित्य के साथ प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त वाहन अनुमन्य किया जायेगा। सभी विभागाध्यक्षों से वर्तमान में उपलब्ध वाहन तथा नियमित वाहन चालकों की संख्या भी प्राप्त कर ली जाए जिसके आधार पर निर्णय लेने में सुगमता होगी। इसके लिए परिवहन विभाग को नोडल विभाग बनाया जाता है।

राज्य सम्पत्ति विभाग में श्रेणी A के द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों को यदि वापस करते हुए नए वाहन की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सम्पत्ति द्वारा प्रथमतः निष्प्रयोज्य वाहन के बदले श्रेणी A से प्राप्त वापस वाहनों (Handed Down Cars) को प्रयोग में लाया जाएगा। यदि Handed Down Cars की उपलब्धता नहीं है उस स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

इसी प्रकार नए वाहन के क्रय की रोक लगाने के पश्चात् B, C एवं D श्रेणी के अधिकारियों द्वारा उन परिस्थितियों में जब उन्हें उपलब्ध कराए गए सरकारी वाहन निष्प्रयोज्य की श्रेणी में आ जाते हैं तब उन्हें भी Handed Down Cars उपलब्ध कराई जाएंगी। Handed Down Cars की उपलब्धता न होने पर उन्हें निजी कार का प्रयोग सरकारी ड्यूटी के लिए अनुमन्य किया जा सकता है, यदि अधिकारी निजी कार का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

बाह्य स्रोत से वाहन की उपलब्धता कराए जाने के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में अपर परिवहन आयुक्त, राज्य सम्पत्ति अधिकारी, अपर सचिव वित्त एवं आर०टी०ओ०, देहरादून की एक कमेटी गठित होगी, जिनके द्वारा मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए बाह्य एजेन्सी से विभिन्न माडलों की वाहनों के लिए निविदा आमंत्रित करके दरें प्राप्त की जायेगी, जिसमें ईंधन व्यय शामिल नहीं होगा तथा एक माह में औसत अधिकतम दूरी के उपयोग के बाद एक बढी हुई दर भी हो सकती है। इस प्रकार बाह्य स्रोत से निर्धारित श्रेणी वाले अधिकारियों के लिए विभाग समान दरों पर वाहन किराए पर ले सकेंगे।

4. उपरोक्त नीतियों के परिणाम स्वरूप शासकीय वाहन चालकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली स्थिति के निस्तारण सम्बन्धी नीति:-

आउटसोर्सिंग तथा रिडम्बर्समेन्ट प्रणाली के प्रचलित होने पर कुछ संख्या में वर्तमान में सेवारत शासकीय चालक वाहनहीन/ redundant हो जायेंगे। उस स्थिति में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

1. भविष्य में नये चालकों की नियुक्ति को सामान्यतः प्रतिबन्धित कर दिया जाय तथा ए (A) श्रेणी के महानुभावों हेतु चालकों के नियुक्ति की प्रक्रिया पृथक से तय कर ली जाय।
2. वर्तमान में redundant कार्यहीन/वाहनहीन हुये चालकों को सर्वप्रथम एक आकर्षक वी.आर.एस. (स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति) का विकल्प दिया जाय।
3. तदोपरान्त बचे हुये चालकों को शासन के अन्य विभागों में चालकों की रिक्त पदों पर सेवा-स्थानान्तरित किया जाना होगा।
4. बचे हुये वाहन चालक वर्तमान में उपलब्ध शासकीय वाहनों पर कार्यरत रहेंगे।

उपरोक्त चारों विकल्पों के कियान्वयन हेतु विस्तृत नीति/गणना/व्यवस्था राज्य सम्पत्ति विभाग तथा कार्मिक विभाग द्वारा पृथक से की जानी होगी।


वाहनों की लागत सीमा को देखते हुए श्रेणी A के लिए बाजार दर पर तथा अन्य सभी श्रेणियों के लिए DG S&D की दरों पर वाहन कय किया जायेगा। वर्तमान में उपलब्ध वाहनों एवं उनकी कीमत को देखते हुये विभिन्न श्रेणी के लिए निम्न मेक के माडल उपलब्ध कराये जायेंगे तथा सभी वाहनों का रंग सफेद होगा।

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी	वाहन का अधिकतम मूल्य	माडल
A	मा० कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस एवं समकक्ष अधिकारी	15 लाख तक	1-Toyota-Innova VX(Diesel) 2-Skoda-Laura 3-Honda-City 4-Mahindra XUV 500

	सचिव, मण्डलायुक्त, आईजी पुलिस, अन्य समकक्ष		3-Maruti-SX4, 4-Swift Disire
C	अपर सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष	08 लाख तक	1-Maruti-SX4, Swift Disire, Ertiga 2-Tata-Indigo, Manza
D	अन्य अधिकृत अधिकारी / निदेशालयों के अधिकारी / निगमों के अधिकारी आदि / समकक्ष	06 लाख तक	1-Tata-Indigo, CS 2-M &M Bulerro

5- उक्त के अतिरिक्त दायित्वधारी / दर्जाधारी व समकक्ष महानुभावों को एम्बेसडर कार अनुमन्य होगा।

6- उपरोक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


 भवदीप
 (डा० उमाकान्त पवार)
 सचिव

संख्या- 65 / IX-1 / 2013 / 215 / 2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 3- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- रजिस्ट्रार, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 5- समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
- 8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
- 9- सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
- 11- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
 (नितेश कुमार झा)
 अपर सचिव

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: ०२० फरवरी, 2013

विषय— अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों को पुर्ननियुक्ति अथवा अनुबंधात्मक रूप से तैनाती प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 50/भा.स./47-का-4-93-15/95/93 दिनांक 24 जनवरी, 1994 सपटित शासनादेश संख्या 1/12/97-का-4-1997 दिनांक 17 नवम्बर, 1997 द्वारा अधिवर्षता आयु (तत्समय 58 वर्ष प्रवृत्त थी) पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को विशिष्ट विधिक ज्ञान के एवं वैज्ञानिक पद पर अपरिहार्य स्थिति में 62 वर्ष की आयु तक के लिए अनुबंधात्मक रूप से तैनाती दिये जाने की व्यवस्था की गई थी।

2- राज्याधीन सेवाओं में नियुक्त सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष हो जाने के परिणामस्वरूप उक्त शासनादेशों द्वारा पुर्ननियुक्ति के लिए 62 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा प्रासांगिक नहीं रह गयी है। राज्य गठन के बाद विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत अनुभवी कार्मिकों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने से शासकीय कार्यों के निष्पादन में अनुभवी कार्मिकों की कमी हो गयी है। सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्पष्ट नीति न होने के कारण राज्य सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों में पृथक-पृथक मानदण्ड अपनाया जाना भी संज्ञान में आया है।


3- अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत सरकारी विभागों, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं, राज्याधीन सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों, स्थानीय निकायों तथा परिषदों में सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन के प्रस्तावों पर विचार किये जाने हेतु निम्नवत निर्णय लिये गये हैं—

- (एक) पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन विधिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक एवं ऐसी प्रकृति के पदों जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण एवं दक्षता की आवश्यकता हो, पर उसी दशा में की जायेगी जबकि सम्बन्धित पद हेतु प्रयास के बाद भी उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो पा रहा हो और जनहित में तैनाती किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया हो।
- (दो) पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन विभागीय संरचनात्मक ढांचे के स्वीकृत पदों के पदनाम से तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों के साथ प्रदान नहीं की जायेगी। तैनाती हेतु नियुक्त होने वाले अधिकारी की विभाग में उपादेयता के दृष्टिगत विभागीय संरचनात्मक ढांचे में स्वीकृत पदनाम से भिन्न पदनाम यथा सलाहकार/परामर्शी, विशेष कार्याधिकारी, विशेषज्ञ, समन्वयक आदि नामों से निःसंवर्गीय पद अतिरिक्त रूप से सृजित करते हुए की जायेगी। इस निमित्त संरचनात्मक ढांचे के पदों को आस्थगित नहीं रखा जायेगा।
- (तीन) सेवानिवृत्त कार्मिक की पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन के प्रस्ताव पर विचार करते समय सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की पूर्व सेवा की स्थिति का भली-भांति परीक्षण करके औचित्य के साथ वित्त विभाग तथा कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त करके मुख्य सचिव एवं मा. विभागीय मंत्री के माध्यम से मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही नियुक्ति की जायेगी।
- (चार) सेवानिवृत्त कार्मिक की पुर्ननियुक्ति/संविदा पर नियोजन के प्रस्ताव पर विचार करते समय कार्मिक के सम्बन्धित पद/सेवा के लिए उपयोगिता, उसका अच्छा स्वास्थ्य तथा उसकी सत्यनिष्ठा का ध्यान रखा जायेगा।

- (पाँच) पुर्ननियुक्ति/सविदा पर नियोजित सेवकों के लिए अधिकतम आयु सामान्यतः 65 वर्ष होगी। परन्तु ऐसे कार्य जिनमें विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता हो और जिनके पदों के सापेक्ष प्रयास के उपरान्त भी उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हों तो सेवानिवृत्त कार्मिकों जिनकी आयु 65 से अधिक हो गई हो तथा उनका स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता शासकीय कार्यों के अनुकूल हो तो विशेष परिस्थितियों में विभागीय आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की संस्तुति पर अधिकतम आयु की सीमा में छूट दिये जाने में विचार किया जा सकता है।
- (छ) कार्यालय कक्ष, स्टॉफ एवं वाहन सुविधा के सम्बन्ध में विद्यमान स्थिति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकेगा।
- (सात) सविदा पर नियोजित सेवकों को शासकीय आवास अनुमन्य नहीं होगा।
- (आठ) नियुक्त कार्मिक द्वारा तैनाती के दौरान कदाचारपूर्ण कार्य किया जाता है अथवा अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा नियंत्रक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि तैनात कार्मिक अपनी अस्वस्थता के कारण अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु काफी समय तक अयोग्य रहेगा, तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैनात कार्मिक की तैनाती बिना कोई पूर्व सूचना दिए तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी। सविदा पर नियुक्त कार्मिक सेवा का त्याग करना चाहे तो वह सक्षम प्राधिकारी को एक माह का लिखित नोटिस देकर अथवा एक माह के नोटिस के बदले एक माह के वेतन के समतुल्य राशि अथवा उस अवधि के लिए जितनी एक माह का नोटिस दिए जाने के उपरान्त एक माह की अवधि से कम हो, उन्नत वेतन के बराबर धनराशि सरकार/सक्षम प्राधिकारी को वापस करते हुए तैनाती का त्याग किया जा सकेगा।
- (नौ) पुर्ननियुक्ति/सविदा पर नियोजित सेवकों को वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, यात्रा भत्ते तथा अन्य शर्तें वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 319/XXVII-7/2012 दिनांक: 21 नवम्बर, 2012 के अनुसार होगी।
- (दस) सविदा पर नियोजित सेवकों के साथ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त संगत प्रतिबन्धों को सम्मिलित करते हुए एक स्पष्ट अनुबन्ध-पत्र संलग्न प्रारूप पर निष्पादित किया जायेगा।
- 4- कृपया सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुर्ननियुक्ति/सविदा पर नियोजन के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

इस विषय में पूर्व में शासनादेश जारी संख्या: 128/XXX(2)/2004 दिनांक: 08 जुलाई, 2004 उक्त सीमा तक संशोधित/अतिक्रमित समझा जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त,


भवदीय,

 (आलोक कुमार जैन)
 मुख्य सचिव।

संख्या 173 (4) /XXX(2)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त कुमार्थ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक एवं सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त विभागीय वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,


 (रमेश चन्द्र लोहनी)
 अपर सचिव।

अनुबन्ध

यह सबको ज्ञात हो कि यद्यपि यह अनुबन्ध, जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है, उत्तराखण्ड के राज्यपाल की ओर से सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष अथवा सचिव के साथ किये गये अनुबन्ध के रूप में है, किन्तु यह नियुक्ति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गयी है। इसके लिए नियुक्त कार्मिक अनुबन्ध आधारित अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में पूर्णतः उक्त सरकार के आदेशों के अधीन रहेगा।

अतः यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री..... पुत्र श्री..... पता.....
..... है, जिसे इसमें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में उत्तराखण्ड के राज्यपाल, जिसे इसमें द्वितीय पक्ष कहा गया है, के बीच आज दिनांक..... को निष्पादित किया गया।

चूँकि सरकार द्वारा प्रथम पक्ष को नियुक्त किया गया है और प्रथम पक्ष इसमें एतदपश्चात् अन्तर्विष्ट शर्तों और निबन्धनों पर उत्तराखण्ड सरकार में अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त होने/सेवा के लिए सहमत हो गया है।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है और दोनों पक्ष पृथक-पृथक निम्नानुसार सहमत हो गये हैं कि:-

1. प्रथम पक्ष, सरकार तथा अधिकारियों और प्राधिकारियों के, जिनके अधीन उसे सरकार द्वारा समय-समय पर रखा जायेगा, आदेशों का पालन करेगा और इसमें यहाँ अन्तर्विष्ट प्राविधानों के अधीन रहते हुए वर्ष..... के..... महीने के दिनांक..... से..... वर्ष के..... महीने के दिनांक..... तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर..... विभाग के अन्तर्गत..... पद पर नियोजित रहेगा।

2. प्रथम पक्ष, अपना सम्पूर्ण समय अपने पदीय कार्यों के लिए देगा और सदैव भारत के किसी भी भाग में लोक सेवा की शाखा को विनियमित करने के लिए सरकारी सेवक की आचरण नियमावली सहित समय-समय पर विहित नियमों का अनुपालन करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे समनुदेशित किये जायें।

3. प्रथम पक्ष की सेवा निम्नानुसार समाप्त की जा सकेगी :-

(1) सरकार अथवा सक्षम प्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा उसे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय, यदि सरकार/सक्षम प्राधिकारी की राय में प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध के अधीन रहते हुए सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया गया हो।

(2) सरकार अथवा सक्षम प्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर सरकार/सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रथम पक्ष अस्वस्थ है और अस्वस्थता के कारण उत्तराखण्ड में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए काफी समय तक उसके अयोग्य रहने की सम्भावना है ; परन्तु सदैव यह कि सरकार/सक्षम प्राधिकारी का यह विनिश्चय कि प्रथम पक्ष के अस्वस्थ रहने की सम्भावना है, निश्चायक होगा और प्रथम पक्ष पर बाध्यकारी होगा।

(3) सरकार अथवा सक्षम प्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि प्रथम पक्ष इस विलेख के किसी प्राविधान अथवा लोक सेवा की जिस शाखा का वह सदस्य रहा है, उसके किसी नियम की अवज्ञा, असंयम या कदाचार का दोषी पाया गया हो।

(4) इस अनुबन्ध के अधीन सेवाकाल के दौरान किसी भी समय प्रथम पक्ष के द्वारा सरकार को अथवा सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रथम पक्ष को बिना कोई कारण बताए एक माह की लिखित सूचना द्वारा;

परन्तु, तदैव यह कि यहाँ उपबन्धित किसी पूर्व सूचना के बदले सरकार द्वारा प्रथम पक्ष को अथवा प्रथम पक्ष द्वारा सरकार को उसके एक महीने के नियत पारिश्रमिक के समतुल्य राशि अथवा उस अवधि के लिए जितनी कि एक माह की लिखित पूर्व सूचना देने के उपरान्त एक माह की अवधि से कम हो, उसके नियत पारिश्रमिक के बराबर धनराशि दी जायेगी।

इस खण्ड के प्रयोजन हेतु नियत पारिश्रमिक शब्द से तात्पर्य उस धनराशि से है जो कि सेवानिवृत्त कार्मिक को अनुबन्ध पर नियोजित किए जाने हेतु उसका नियत पारिश्रमिक इस अनुबन्ध की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार किये गये करार द्वारा नियत किया जाय।

4. यदि प्रथम पक्ष अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी समय इस अनुबन्ध के खण्ड 3 के उपखण्ड (3) में उल्लिखित कदाचार अथवा किसी आपराधिक कृत्य का प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक उपबन्धों के अनुसार अनुशासनिक/विधिक कार्यवाही की जायेगी।
5. इस अनुबन्ध में उल्लिखित पद पर नियुक्त/नियोजित प्रथम पक्ष को शासनादेश संख्या: 319/xxvii-7/2012 दिनांक: 21 नवम्बर, 2012 के अनुसार नियत पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।
6. अनुबन्ध पर नियुक्त व्यक्ति कलेण्डर वर्ष में चौदह दिन के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार के अवकाश अथवा अवकाश नियत पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।
7. यदि प्रथम पक्ष द्वारा लोक सेवा के हित में यात्रा करना अपेक्षित है तो सेवानिवृत्ति की प्राप्ति पर उसकी वास्तविक अनुमन्यता के अनुसार यात्रा भत्ते का हकदार होगा।
8. कार्यालय कक्ष, स्टॉफ एवं वाहन सुविधा के सम्बन्ध में सरकार अथवा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विद्यमान स्थिति एवं कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यकता के दृष्टिगत जो सुविधाएं अनुमन्य की जायेंगी, वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
9. इसमें इससे पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम पक्ष, जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया जाये, पूर्णतः अथवा अंशतः लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा जैसा कि इस विलेख के दिनांक के पश्चात् सरकार द्वारा लोक सेवा की शाखा/सेवा के सदस्यों की, जिसका कि वह सदस्य रहा है, सेवा शर्तों और निबन्धनों में प्राधिकृत किया जाय तथा प्रथम पक्ष की सेवा शर्तों और निबन्धनों में ऐसे सुधार के सम्बन्ध में सरकार का विनिश्चय इस विलेख के उपबन्धों को उस सीमा तक संशोधित करने के लिए प्रवृत्त होगा।
10. किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस अनुबन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली तथा उसके अधीन बनाये गये अन्य नियम अथवा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये या अनुच्छेद 313 में अन्तर्विष्ट समझे गये नियम, उस सीमा तक लागू होंगे जो प्रथम पक्ष की तैनाती से पूर्व उनसे सम्बन्धित मूल सेवा संवर्ग के सदस्यों पर लागू हैं और उनके लागू होने के सम्बन्ध में सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप में प्रथम पक्ष.....तथा उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से उत्तराखण्ड सरकार के.....विभाग में सक्षम प्राधिकार वाले अधिकारी द्वारा प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये गये।

निम्नांकित की उपस्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये गये :-

प्रथम पक्ष
(नाम, पता सहित)

साक्षी
(नाम, पता सहित)

निम्नांकित की उपस्थिति में उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से उत्तराखण्ड सरकार के.....विभाग में सक्षम प्राधिकारी द्वितीय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये गये:-

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए
और उनकी ओर से/द्वितीय पक्ष
(नाम, पता सहित)

साक्षी
(नाम, पता सहित)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 6 वित्त / 301-3-10-2012-200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।